



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032020-218792
CG-DL-W-19032020-218792

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 8—मार्च 14, 2020, शनिवार / फाल्गुन 18—फाल्गुन 24, 1941
No. 10] NEW DELHI, MARCH 8—MARCH 14, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 18—PHALGUNA 24, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यकारी सहायक (साधारण) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, समूह 'ग' पद [कार्यकारी सहायक (साधारण)] भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की ऐसी कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यकारी सहायक (साधारण)	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों अथवा संवैधानिक संगठनों, इत्यादि के ऐसे अधिकारी जो :- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु. 21700 – 69100/-) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (रु 19900 – 63200/-) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, :- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण; तथा (ii) स्वागत या प्रोटोकॉल इकाई के साथ संपर्क संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.39021/03/2019-स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 11th March, 2020

G.S.R.62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Assistant (General) in the office of the Union Public Service Commission, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Executive Assistant (General) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Executive Assistant (General)	1* (2020) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, non-Ministerial	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not applicable	Not Applicable	Deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Officer of the Central Government or State Government or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, etc.-(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) five years' regular service in level 3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix; or (iii) eight years' regular service in level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix; (b)possessing the following educational qualification and experience: (i) 12th pass from a recognised Board; and (ii) one year experience in work related to liaisoning with reception or protocol units. Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. 39021/03/2019-Estt.(B)]
RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जहां तक उच्च श्रेणी लिपिक (क्रम संख्या 6) के पद से संबंधित है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1980 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	52* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500 – 81100/- रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत (ii) सीमित विभागीय परीक्षा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : (i) अवर स्तर 2 (19900-63200) में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति के लिए स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: (i) ऐसे व्यक्ति जो सदृश पद धारण करते हों (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन स्तर 2 (19900-63200) में ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) में महा स्वास्थ्य निदेशालय/दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित निदेशालय की अन्य संस्थान – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं.1-23/2019-एनवीबीडीसीपी/प्रशासन-1]]

वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd March, 2020

G.S.R .63. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of **Upper Division Clerk (Sl. No. 6)**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the National Vector Borne Disease Control Programme, (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Ministry of Health & Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, **Upper Division Clerk (Group ‘C’ Post)** Recruitment Rules, 2020

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in Pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	52 * (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’ (Non-Gazetted), Ministerial.	Level - 4 (Rs. 25500-81100)	“Non-Selection”	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	(i) 75% by promotion; (ii) 25% by promotion through limited departmental test failing which by deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades, from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
(i) Promotion: Lower Division Clerk in level 2 (19900-63200) with eight years' regular service in the grade ; (ii) For promotion through Limited Departmental test, Lower Division Clerk of level 2 with five years' regular service in the grade. Note:— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/Absorption: (i) from persons holding analogous posts; or (ii) Lower Division Clerk in the level 2 (19900-63200) with at least five years' regular service under the Central Government or State Government. Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion: (i) Joint Director/Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme -Chairman (ii) Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services /Any other Institution of the Directorate located in Delhi/New Delhi – Member (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member	Not applicable.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी	2*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स तथा इलैक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरी में बी. टैक और न्यूरो साइंस प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव ; अथवा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स तथा इलैक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरी या न्यूरो इलैक्ट्रो फिज़ियोथैरेपी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूरो साइंस प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।	आयु : लागू नहीं होता । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300/- रुपए) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलोजी विभाग के अध्यक्ष -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप-निदेशक - सदस्य ; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

की सेवा की है, और (ख) जो स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं.ए. 12018/13/2019-एम.एच. II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 2020

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician EEG, EMG/NCV, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician EEG, EMG/NCV (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician EEG, EMG/NCV	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) B. Tech. in Electronics and Electrical Communication engineering from a recognized University or Institute and one-year experience in Neuro Science Laboratory ; or (ii) Three Years Diploma in Electronics and Electrical Communication Engineering or Neuro Electro Physiotherapy from a recognised University or Institute and two years experience in Neuro Science Laboratory.	Age : NA Edu. Qua. : NA	Two years	By deputation (including Short-Term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research Institution A.(i) holding analogous posts	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) comprising of:- 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Head Of the Neurology Department, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

on regular basis in the parent cadre or department or (ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level -5 (Rs . 29200-92300/-) in the pay matrix rendered in the parent cadre or department and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for DR under column (7). Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. A.12018/13/2019-MH II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सा.का.नि.65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम मंत्रालय (समूह-घ) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उनका संबंध दफ्तरी चपरासी और सफाईवाला फराश के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	108* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह-ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रु.-18000-रु.-56900)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच नोट 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थी के मामले में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के मामले में 45 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है। नोट 2: आयु-सीमा निर्धारण करने की प्रमाणिक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और लाहौल संघ राज्य क्षेत्र, स्पीती जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पंगी उप-प्रभाग और अंदमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहने वालों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियाँ जिन पदों पर भर्ती करने के लिए यूपीएससी की सलाह ली जानी है
11	12	13
लागू नहीं होता	स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह-‘ग’ विभागीय प्रौन्नति समिति में शामिल है: 1. उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. प्रशा.-I/12018/01/2019]

सी.एस.राव, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th March, 2020

G.S.R.65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour (Group ‘D’) Recruitment Rules 1985, in so far as they relate to the posts of Daftry Peon and Safiwala Farash, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Multi-Tasking Staff (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi - Tasking Staff	108* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-Rs. 56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Note 1: Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Lahaul, Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
10 th Class pass or equivalent from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Secretary (Administration) -Chairman; 2. Under Secretary – Member. 3. Under Secretary – Member.	Not applicable

[F. No. Adm.I /12018/01/2019]

C. S. RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पुस्तकालय (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 1992 का उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जहां तक कि ये पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी के पद से संबंधित हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय), पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह-ख) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	4 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय अराजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400)	लागू नहीं	30 वर्ष; टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु में पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा निर्धारित करने की तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

आवश्यक अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री। टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हत अभ्यर्थियों की दशा में इन कारणों के लिए लेखबद्ध करके किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। वांछनीय अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	अनुभव: केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के पुस्तकालय से दो साल का वृत्तिक अनुभव प्राप्त हो। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
---	--

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगा।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)	(9)	(10)	
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती	75 प्रतिशत
		अल्पावधि अनुबंध या प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति	25 प्रतिशत

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नत समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(11)	(12)	(13)
मिश्रित विधि: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो। (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु. 29,200 - 92,300) पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह साल की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 में विभागीय पुस्तकालय लिपिक (रु. 19,900 - 63,200) के साथ ग्रेड में नियमित दस वर्षों की सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखते हों, बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि उसका चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से पहले अन्य पूर्व कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इसी में या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2017-प्रशा.]]

सी. एस. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 2020

G.S.R. 66 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour, Library (Group C Posts) Recruitment Rules, 1992, in so far as it relates to the post of Library & Information Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession,

the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Labour and Employment, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Main Secretariat, Library and Information Assistant (Group B Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	4 (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'	Level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-112400)	Not applicable	30 years; Note 1: Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(7)	
Essential Qualification: Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded. Desirable Qualification: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.	Experience: Two years professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	
(8)	(9)	(10)	
Age : No.	Two years for direct recruits	Direct recruitment.	75 per cent.
Educational Qualification: No.		Deputation including short term contact or promotion.	25 per cent.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite Method : Deputation (including short term contract) or promotion (1) Officers under Central Government or State Government or Union territories or public sector Undertakings or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1 : The Departmental Library	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Administration) -Chairman ; 2. Under Secretary - member; 3. Under Secretary - member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

Clerks in level 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200) with ten years of regular service in the grade and possessing Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute shall also be considered along with outsiders. In case he or she is selected, the post shall be deemed as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--

[F.No.A-12018/1/2017-Adm.I]

C.S. RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड-I, राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जहां तक कि ये पुस्तकाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय), पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी (समूह-ख) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निर्हता.**—वह व्यक्ति
 - जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकाल सहायक एवं सूचना अधिकारी	1 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु.- 44900-142400)	चयनित पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रौन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा शत- प्रतिशत

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400) में पुस्तकालय और सूचना सहायक के साथ ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणः ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और अपने	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक/उप-सचिव (प्रशा.) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो। अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।		
--	--	--

[फा. सं.ए-12018/1/2017-प्रशा.।]

सी. एस. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 2020

G.S.R. 67.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour and Employment (Librarian-Grade I-Gazetted) Recruitment Rules 1962, in so far as it relates to the post of Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Labour and Employment, namely :-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Main Secretariat, Assistant Library and Information Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this respect in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Library and Information Officer	1 (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Non Ministerial, Gazetted, Group 'B'.	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification : Not applicable	Age : Not applicable. Educational Qualification: Not applicable	Not applicable	By promotion 100 per cent

In case of recruitment by Promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Library and Information Assistant in the level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade; and successfully completed training of two weeks in the field of Library and Library Science. Note :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Administration) - Chairman; 2. Under Secretary - Member; 3. Under Secretary - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2017-Adm.I]

C.S. RAO, Under Secy.